



2(i).2 समिति को सूचित किया गया कि प्रथम वृष्ट्या आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं, जिनके बारे में आवेदक को सूचित कर दिया गया है:-

- i. फॉर्म-एफ के पैरा I में कंपनी के डेनमार्क स्थित पंजीकृत कार्यालय का उल्लेख करना आवश्यक है। आवेदक ने पंजीकृत कार्यालय के पते के स्थान पर प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थान का उल्लेख किया है।
- ii. फॉर्म-एफ में कंपनी के पैन कार्ड एनओटीएवी 9999वी का उल्लेख किया गया है। इसलिए, इसकी प्रति जमा करना आवश्यक है।
- iii. आवेदक ने डेनिश बिजनेस अर्थोरिटी द्वारा जारी दिनांक 15.06.2023 के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। वहाँ, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (डेनमार्क) की प्रतियां जमा कर दी गई हैं। इससे साबित होता है कि कंपनी ने 2019-20 से पहले निगमन किया था। इसलिए, आवेदक को कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति जमा करनी होगी। इसके अलावा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की स्थापना 06.05.1982 को हुई थी और कंपनी के बोर्ड में पांच निदेशक हैं जबकि फॉर्म-एफ में केवल दो निदेशक दिखाए गए हैं।
- iv. सीपीसी संस्करण 2.1 के अनुसार सही सीपीसी कोड दर्शाए जाने चाहिए।
- v. मेसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी, सह-विकासक द्वारा दिनांक 19.06.2023 को जारी स्थान के अनंतिम प्रस्ताव में इकाई का प्रस्तावित स्थान यानी फर्श का नाम, भवन/टावर संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।
- vi. क्रमशः 120.00 लाख रुपये और 4381.00 लाख रुपये की प्रस्तावित आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की अलग सूची, 67 सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के अनुसार संख्या और विवरण देते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- vii. आयातित और स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं की अलग-अलग सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- viii. फॉर्म-एफ के लिए पैरा XII (ii और iv) के संबंध में उत्तर "हां या नहीं" के रूप में दिया जा सकता है।
- ix. निदेशकों की नियुक्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- x. आयकर विभाग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2(i).3 समिति ने पाया कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर संख्या 7/2015-16 दिनांक 01.07.2015 (30.10.2015 को अद्यतन) के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना संख्या फैमा 22 (आर) /आरबी-2016 दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा जारी किया गया था, भारतीय रिझर्व बैंक, गैर-निवासी कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में विनियमण और सेवा गतिविधियाँ शुरू करने के लिए बीओ स्थापित करने की सामान्य अनुमति देता है, बशर्ते शाखा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती हो:

- a. ऐसे शाखा कार्यालय उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जहाँ 100% एफडीआई की अनुमति है;
- b. ऐसे शाखा कार्यालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII का अनुपालन करते हैं; और;
- c. ऐसे शाखा कार्यालय एकल आधार पर कार्य करते हैं।

2(i).4 सुश्री रंजू, एवीपी, श्री राजीव चुग, अधिकृत प्रतिनिधि और श्री तेजस्वी आनंद, मेसर्स डैनसेंटर ए/एस के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

सुश्रीं रंजू एवीपी





3(i).1 मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्लॉट नंबर 7, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	98.46
II.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं।	04	58.00
III.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	303.00
IV.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), मल लाइनें, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	7.00
V.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	20.49
		कुल	486.95

3(i).2 श्री प्रदीप शर्मा, एजीएम और श्री एल.डी. शर्मा, सहायक प्रबंधक, मेसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि "केवल कैटिव उपयोग के लिए पावर (पावर बैकअप सुविधाओं सहित)" के तहत प्रस्तावित वस्तुओं का उपयोग पावर बैकअप सुविधाओं के लिए किया जाएगा।

3(i).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### मद नंबर 4: शेयरधारिता पैटर्न/निर्देशकों में बदलाव की सूचना।

#### 4(i): मैसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड (इकाई-I और इकाई-II)।

4(i).1 मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 21, सेक्टर टेक जोन-IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी) में अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी दो इकाइयों के संबंध में पत्र दिनांक 10.02.2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुपालन कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न और निर्देशकों में बदलाव के लिए सूचना प्रस्तुत की है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

#### लेन-देन से पहले शेयरधारिता:

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूहः			
डॉ. सतिंदर सिंह रेखी	प्रवर्तक	74,03,456	6.26%
श्रीमती हरप्रीत रेखी	प्रवर्तक	50,99,389	4.31%

सुरेंद्र भालिका

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
सतिंदर और हरप्रीत रेखी फैमिली ट्रस्ट (ट्रस्टी: सतिंदर सिंह रेखी और हरप्रीत रेखी)	प्रवर्तक	1,17,02,623	9.89%
श्री सरताज सिंह रेखी	प्रवर्तक समूह	1,86,76,248	15.79%
श्री रमनीत सिंह रेखी	प्रवर्तक समूह	1,62,36,331	13.72%
श्रीमती अमृता रेखी	प्रवर्तक समूह	100	0.00%
श्रीमती कुलदीप बलदेव सिंह	प्रवर्तक समूह	3,71,908	0.31%
श्रीमती अनिता बहल	प्रवर्तक समूह	3,67,525	0.31%
श्री जगमोहन सिंह वालिया	प्रवर्तक समूह	12,72,389	1.08%
कुल प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह:		6,11,29,969	51.67%
अन्य शेयरधारक	जनता	5,71,73,476	48.33%
	कुल:	11,83,03,445	100.00 %

### 22.05.2023 को शेयरधारिता के बाद लेनदेन:

शेयरधारकों का नाम	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर%
बीसीपी अर्थशापी    टॉपको    पीटीई लिमिटेड	प्रवर्तक	6,14,33,005	51.93%
अन्य शेयरधारक	जनता	5,68,70,440	48.07%
	कुल:	11,83,03,445	100.00 %

4(i).2 इकाई ने लेनदेन से पहले और बाद में निदेशकों में बदलाव का विवरण भी प्रस्तुत किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

पिछले निदेशक	लेन-देन के बाद निदेशक
1. डॉ. सतिंदर सिंह रेखी 2. लेफ्टिनेंट जनरल बलदेव सिंह (सेवानिवृत्त) 3. श्री अविराग जैन 4. श्रीमती रुचिका गुप्ता 5. श्री कपिल धर्मेजा 6. श्री आदित्य वाधवा	1. श्रीमती रुचिका गुप्ता 2. श्री नितेश बनल 3. श्री मुकेश गुलराज मेहता 4. श्री अमित डालमिया 5. श्री अनिमेष अग्रवाल 6. श्री कपिल धर्मेजा 7. श्री आदित्य वाधवा

4(i).3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श में वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में, निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, इसकी दो इकाइयों के संबंध में मैसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न और निदेशकों में उपरोक्त परिवर्तनों पर ध्यान दिया गया।

मद संख्या 5 इकाई के स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव।

#### 5(i) मैसर्स अर्थशापी अर्थशापी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड

5(i).1 मैसर्स अर्थशापी अर्थशापी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड ने ग्राम इब्राहिमपुर जूनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर (उ.प्र.) में अर्थशापी नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के स्वीकृति पत्र दिनांक 30.10.2018 में एचएस / एक्झिम कोड के साथ निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

सुरक्षा नालिका

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एविज़िम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
1.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), मुख्य रूप से सुगंध में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा, ठंडा, जमे हुए या सूखे, चाहे कटे हुए, कुचले हुए या पाउडर वाले हों या नहीं।	
	12112000	जिनसेंग जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12115000	एफडरा	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12116000	अफ्रीकी चेरी की छाल (प्रूनस अफ्रीकाना)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119011	एम्ब्रेटे बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119012	नक्सवोमिका, सूखे पके बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119013	साइलियम बीज (इसोबगुल)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119014	नीम बीज	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119016	गार्सिनिया	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119021	बेलाडोना निकलता है	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119022	सेन्ना की पत्तियाँ और फलियाँ	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119023	नीम की पत्तियां	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119024	जिमनेमा	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119025	क्यूब	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119026	पाइरेथ्रम	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119029	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119031	कैस्कारा सग्राडा छाल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119032	साइलियम भूसी (इसोबगुल भूसी)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119033	गैंबोगे फल का छिलका	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119034	अशोक (सारका असोका)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119035	अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन)	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119039	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119041	बेलाडोना जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119042	गलांगल प्रकंद और जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119043	इपेकैक सूखे प्रकंद और जड़े	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119045	ज़ेडोवेरी जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119047	सरसापैरिला जड़ें	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119048	मीठे ध्वज प्रकंद	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119049	अन्य	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119051	चंदन के चिप्स और धूल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119052	विंका रसिया जड़ी-बूटियाँ	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119053	टकसाल	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित
	12119055	चिराता	आयात एवं निर्यात - अप्रतिबंधित

संदर्भ सालीक







क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस) /एक्ज़िम कोड	वस्तु विवरण:	डीजीएफटी आयात/निर्यात नीति
		शीर्ष 82.08 के चाकू और उनके ब्लेड के अलावा।	
82111000	मिश्रित लेखों के सेट	अप्रतिबंधित	
82119100	निश्चित ब्लेड वाले टेबल चाकू	अप्रतिबंधित	
82119200	अन्य:- स्थिर ब्लेड वाले अन्य चाकू	अप्रतिबंधित	
82119310	पॉकेट चाकू	अप्रतिबंधित	
82119390	अन्य	अप्रतिबंधित	
82119400	ब्लेड	अप्रतिबंधित	
82119500	आधार धातु के हैंडल	अप्रतिबंधित	

2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित वस्तुओं के लिए लागू आयात/निर्यात नीति के अधीन, इकाई के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त